संख्या-08/2023/1778/22-2-2022-17(104)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री नैपाल सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री नैपाल सिंह, निवासी-ग्राम-खायरा,थाना-सुरीर,जनपद-मथुरा का है। बन्दी द्वारा खेत में पानी लगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 14.08.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा, चाकू व दरांती से मारकर भारत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-947/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/34,504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-10, मथुरा के आदेश दिनांक 01.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 14.09.2021 तक 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 04 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने व बंदी का क्षेत्र में भय व्याप्त होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व अपराध करने से स्पष्ट इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा खेत मे पानी लगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 14.08.2004 बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा, चाकू व दरांती से मारकर भारत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत रामेश्वर पुत्र श्री नैपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर (बन्दी संख्या-15726) पुत्र श्री नैपाल सिंह के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-08/2023/1778(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-08/2023/1778/22-2-2022-17(104)/2021

दिनांक 17 जनवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री नैपाल सिंह, निवासी-ग्राम-खायरा,थाना-सुरीर,जनपद-मथुरा का है। बन्दी द्वारा खेत में पानी लगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 14.08.2004 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा, चाकू व दरांती से मारकर भारत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-947/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-10, मथुरा के आदेश दिनांक 01.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 14.09.2021 तक 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 04 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने व बंदी का क्षेत्र में भय व्याप्त होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व अपराध करने से स्पष्ट इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि खेत मं पानी लगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 14.08.2004 बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा, चाकू व दरांती से मारकर भारत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत रामेश्वर पुत्र श्री नैपाल सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in